**भारत सरकार**

**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**

**राज्य सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. **475** जिसका उत्तर

**मंगलवार, 3 फरवरी, 2026 (14 माघ, 1947 (शक))** को दिया जाना है

**ट्रांस-शिपमेंट अवसंरचना**

**475 # श्री मिथलेश कुमार :**

**श्री नीरज डांगी :**

**श्री केसरीदेवसिंह झाला :**

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चिन्हित किए गए अल्पविकसित ट्रांस-शिपमेंट बंदरगाहों की संख्या कितनी है;

(ख) विदेशी ट्रांस-शिपमेंट केंद्रों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वीकृत या कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या मंत्रालय के पास तटीय और लघु-समुद्री शिपिंग के लिए नीतिगत समर्थन के बाद तटीय शिपिंग मात्रा और हासिल की गई लागत दक्षता में बदलाव से संबंधित आंकड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री**
**(श्री सर्बानंद सोणोवाल)**

**(क) और (ख):** दो।

**(ग) और (घ):** जी, हां। भारतीय पत्तनों पर विगत कुछ वर्षों के दौरान तटीय पोत परिवहन की मात्रा में वृद्धि हुई है। यह 2020-21 में 228 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) से बढ़कर 2024-25 में 336 एमएमटी हो गई है जो बढ़ते समुद्री व्यापार और भारत के लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र में तटीय पोत परिवहन के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

****